

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 1736] No. 1736] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2017/ ज्येष्ठ 30, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2017/ JYAISTHA 30, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2017

का.आ. 1955(अ).—केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 40 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की पहली अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त पहली अनुसूची में, क्रम संख्या 29 और इससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

" 29. 'ईंधन गैसों का प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण' (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और जैसे)"

[फा. सं. एस-11017/2/2017-आईआर (पीएल)] राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: संख्या का.आ. 251(अ) तारीख 25 जनवरी, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची में अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2017

S.O. 1955(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 40 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in public interest so to do, hereby makes the following amendments in the First Schedule to the said Industrial Disputes Act, 1947, namely:—

In the said First Schedule, for serial number 29 and the entry relating thereto, the following serial number and the entry shall be substituted, namely:—'

"29. 'Processing or production or distribution of fuel gases' (coal gas, natural gas and the like)"

[F. No. S-11017/2/2017-IR(PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note: The First Schedule was last amended by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 251(E),dated the 25th January, 2017